

15. प्रशिक्षणार्थियों के लिए सामान्य नियम एवं अन्य जानकारी

(i) वर्दी (Uniform) :-

प्रशिक्षणार्थी निर्धारित वर्दी के दो या इससे अधिक सेट संस्थान में प्रशिक्षण शुरू होने से पहले तैयार करवा लें तथा प्रतिदिन अपने निवास स्थान / छात्रावास से संस्थान और वापिस निवास स्थान / छात्रावास तक पहुँचने तक वर्दी को पहनना अनिवार्य होगा।

ड्रेस कोड:

ग्रीष्मकालीन:

लड़कों के लिए: स्काई ब्लू रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पेंट (Formal) तथा काले जूते।

लड़कियों के लिए: हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा तथा काले जूते

शीतकालीन:

लड़कों के लिए: स्काई ब्लू रंग की शर्ट, नीले रंग की स्वेटर/ पुल-ओवर और नेवी ब्लू रंग की पेंट (Formal) तथा काले जूते।

लड़कियों के लिए: हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा, मेरून स्वेटर तथा काले जूते।

नोट:

1. प्रशिक्षणार्थी (इंजीनियरिंग व्यवसाय) को कार्यशालाओं में काम करते वक्त गहरे नीले रंग का एप्रन पहनना होगा।
2. चप्पल, ढीली एवं सिंथेटिक फाइबर से बनी पोशाक कार्यशाला में पहनने की अनुमति नहीं है। कार्यशाला इंचार्ज प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से ड्रेसड उम्मीदवार को कार्यशाला में प्रवेश से रोक सकते हैं।
3. बिना निर्धारित पोशाक पहने और बिना पहचान पत्र के संस्थान में भाग लेने पर प्रशिक्षणार्थी को 25/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वह संस्थान में लगातार अनुशासनहीनता करना जारी रखता है तो उसे प्राधानाचार्य द्वारा संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

(ii) प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों के लिए नियम: -

प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों (Casual, Medical, Special Leaves) के लिए नियम DGT द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों के लिए DGT द्वारा निर्धारित (Latest) नवीनतम नियम ही लागू होंगे।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों का पुनः प्रवेश: -

राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगातार 10 कार्यकारी दिवसों तक बिना अवकाश प्राप्त किये अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम हाजरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी यदि नाम कटने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर प्रशिक्षण हेतु वापिस आ जाये, तो उसे निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की अनुमति से कक्षा में दोबारा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे दोबारा दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थी को 500/- रुपये पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में देने होंगे परन्तु डी.जी.टी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी परीक्षा उपस्थिति इत्यादि से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करने पर ही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

(iv) प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति: -

प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति के लिए नियम DGT द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति के लिए DGT द्वारा निर्धारित नवीनतम(Latest) नियम ही लागू होंगे।

(v) प्रशिक्षणार्थियों की संचयी उपस्थिति (cumulative attendance): -

संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं की संचयी उपस्थिति (cumulative attendance) की जाँच तिमाही आधार पर की जाएगी। प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संचयी उपस्थिति नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होनी चाहिए:

Quarter	Required Minimum Cumulative Attendance %age
1 st	70%
2 nd	80%
3 rd	75%
4 th	80%

यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की संचयी उपस्थिति प्रतिशतता तिमाही के अंत में अपेक्षित न्यूनतम संचयी उपस्थिति प्रतिशतता के अनुसार नहीं होती है तो उस स्थिति में संस्थान से प्रशिक्षणार्थी का नाम काट दिया जाएगा (यदि प्रशिक्षणार्थी की संचयी उपस्थिति प्रतिशतता चिकित्सा/ विशेष अवकाश के कारण पूर्ण नहीं होती है तो उस स्थिति में प्रशिक्षणार्थी का नाम नहीं कटेगा तथा उसे अपना प्रशिक्षण एवं उपस्थिति अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पूर्ण करनी होगी)। इस स्थिति में केवल प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के पश्चात संस्थान की अनुशंसा पर ही प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही में कम संचयी उपस्थिति प्रतिशतता के कारण संस्थान से जिन प्रशिक्षणार्थियों का नाम कट चुका होगा, उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक तिमाही के अंत में 80% से कम एवं अपेक्षित न्यूनतम संचयी उपस्थिति प्रतिशतता तक की संचयी उपस्थिति प्रतिशतता पर रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अपनी उपस्थिति प्रतिशतता में सुधार करने हेतु संस्थान द्वारा चेतावनी जारी की जाएगी ताकि भविष्य में उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(vi) प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा:-

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला प्रशिक्षणार्थी को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार छात्रवृत्तियां दी जाती है, परन्तु यह छात्रवृत्तियां संस्थान की स्वीकृत क्षमता के आधार पर ही दी जाएंगी। इनके आतिरिक्त अनुसूचित जातियों, जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को भी सम्बन्धित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। यह सुविधा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाती है। छात्रवृत्तियों के लिए समय पर आवेदन पत्र देना प्रशिक्षणार्थी की अपनी जिम्मेवारी होगी तथा इनका सम्बन्धित प्रधानाचार्य पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
2. इच्छुक प्रत्याशी समय-समय पर प्रधानाचार्य के कार्यालय से संपर्क रखें और छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र तथा उनकी अंतिम तिथि इत्यादि का पता करते रहें और निश्चित तिथि से पहले फॉर्म पूर्ण रूप से भर कर कार्यालय में जमा करवाएं।
3. उपरोक्त वर्णित छात्रवृत्तियों के लिए संस्थान के सभी प्रशिक्षणार्थी (including the trainees of IMC /PPP Mode) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यता/ वर्गानुसार पात्र होंगे। सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियों का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता न., IFSC Code तथा आधार कार्ड होना आवश्यक है।
4. कौशल विकास भत्ता 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रशिक्षणार्थियों के लिए जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रु० से कम हो या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होगा।

(vii) परीक्षा: -

प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए नियम DGT द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए DGT द्वारा निर्धारित (Latest) नियम ही लागू होंगे।

(viii) ऑन जॉब ट्रेनिंग: -

प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा जारी पाठ्यक्रम एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग पर जाना आवश्यक होगा जिसके दौरान होने वाले खर्च के लिए संस्थान या सम्बन्धित संस्था/ उद्योग जिम्मेवार नहीं होगा। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पर भेजने से पहले उनसे इस हेतु शपथ पत्र लिया जाएगा जिस पर उनके अभिवावकों की सहमति भी जरूरी होगी। (Appendix-XII)

(ix) आन्तरिक मूल्यांकन: -

(अ) आन्तरिक मूल्यांकन के लिए डी.जी.टी. द्वारा निर्धारित नवीनतम नियम लागू होंगे।

(ब) मासिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवार को रुपये 100/- रु० प्रति विषय का जुर्माना किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी अगर गंभीर बीमारी या उसके नियंत्रण से परे किसी भी अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित है, तो सम्बन्धित आईटीआई के प्रधानाचार्य इस तरह के प्रशिक्षणार्थी के लिए एक विशेष परीक्षा (एम आई एस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की समय सीमा को ध्यान रखते हुए) अनुसूचित कर सकते हैं।

(x) कौशल प्रतियोगिता: -

प्रशिक्षणार्थियों के कौशल के स्तर को बढ़ाने के लिए एवं उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

(xi) कक्षाएं लगाने हेतु अस्थाई प्रवास: -

NCVET के अंतर्गत प्रवेशित सभी नए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के सिद्ध पोर्टल पर प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा तय तिथि तक रजिस्टर करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार प्रवास के लिए नियम निर्धारित करती है तथा इसके नवीनतम (latest) नियम ही लागू होंगे। अस्थाई प्रवास हेतु आवेदन शुल्क 1000/- रुपये (non-refundable) होगा। प्रवास हेतु निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाए :

1. निदेशालय द्वारा केवल राजकीय औद्योगिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों का अस्थाई प्रवास नियमानुसार एक संस्थान से दूसरे संस्थान में किया जा सकता है।
2. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में अस्थाई प्रवास नहीं होगा।
3. NCVET के तहत चल रहे व्यवसायों में प्रवास के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
4. NCVET के तहत चल रहे व्यवसायों से SCVT के तहत चल रहे व्यवसायों में या SCVT के तहत चल रहे व्यवसायों से NCVET के तहत चल रहे व्यवसायों में प्रवास दोनों योजनाओं के प्रशिक्षण एवं परीक्षा समय के भिन्न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जायगा।
5. रियायती सीटों से गैर रियायती सीटों एवं गैर रियायती सीटों से रियायती सीटों में चल रहे व्यवसायों में प्रवास नहीं होगा।
6. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्थाई प्रवास को रद्द करवाना चाहता है तो उसे प्रवास रद्द करवाने हेतु शुल्क के रूप में 1000/- रुपये जमा करवाने होंगे।
7. प्रशिक्षणार्थियों से अस्थाई प्रवास हेतु लिया गया गया आवेदन शुल्क एवं प्रवास रद्द करवाने हेतु लिया गया शुल्क संस्थान के द्वारा इस निदेशालय में जमा करवाया जाएगा।

(xii) एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग: -

प्रत्येक प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को Appendix-II के अनुसार H.P. Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 से सम्बन्धित प्लेन कागज पर आत्म सत्यापित undertaking (self attested undertaking on a plain paper) संस्थान में प्रधानाचार्य को देना होगा।

(xiii) मुख्य मंत्री सुख शिक्षा योजना: -

अभ्यर्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री सुख शिक्षा योजना के संदर्भ में जारी अधिसूचना (SJE-A-F(4)-1/2024 दिनांक 03.09.2024) की विषय-वस्तु को पढ़ें तथा निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करें:

1. पात्र अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
2. अधिसूचना के मद संख्या 8 i) (b) के अनुसार: संस्थान पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी से पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क और मेस शुल्क की मांग नहीं करेगा तथा इन शुल्कों की समेकित मांग, संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, जहां संस्थान स्थित है।

16. अनुशासन

16.1 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में व्यावहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके सहपाठियों की भलाई और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये हैं। इनको बिना सूचना दिये समय समय पर बदला जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों को चाहिए की वे प्रतिदिन की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करें। नियमों की अज्ञानता के कारण उल्लंघन करने पर माफ़ नहीं किया जायेगा।

16.2 प्रशिक्षणार्थियों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद-व्यवहार करें, और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मान पूर्वक रहें। संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार है कि वे प्रशिक्षणार्थियों के गलत व्यवहार को रोकें, चाहे वे संस्थान के अन्दर हों या बाहर हों, और ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा।

16.3 ऊँची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य से घूमना, यह बात दूसरों के लिए नाराजगी तथा गड़बड़ी पैदा करने वाली होने के नाते वर्जित होगी।

16.4 धूम्रपान, गुटका, मधपान और जुआ खेलने को संस्थान की सीमा के अन्दर तथा बाहर आज्ञा नहीं होगी। यदि कोई भी प्रशिक्षणार्थी इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसको गलती पर पहली बार रुपये 100/- का जुर्माना लिया जायेगा, दूसरी बार रुपये 200/- तथा तीसरी बार प्रशिक्षणार्थी का संस्थान से नाम काट दिया जाएगा।

16.5 कक्षा में देरी से आना या कक्षा से बिना अनुमति के चले जाना, उस पीरियड के लिए प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति मानी जायेगी तथा इसके लिए 10/- रुपये जुर्माना लिया जाएगा (अधिकतम 30/- रुपये प्रतिदिन)। बिना आज्ञा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी को 15/- रुपये प्रति आधा दिवस अर्थात् Recess से पहले या बाद में अथवा 30/- रुपये प्रति दिवस (Full day) की दर से जुर्माना देना होगा।

16.6 किसी उपकरण से छेड़छाड़ करने या बिना आज्ञा किसी विभाग में प्रवेश करना वर्जित होगा।

16.7 किसी भी प्रशिक्षणार्थी का संस्थान के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा।

16.8 सामान, मशीनें और सब प्रकार के यंत्र, औजार और उपकरण प्रयोग के बाद उचित स्थान पर रखे जायें। अगर ये प्रयोग के समय नष्ट/खराब हो गये हों, तो उन कारणों को इन्चार्ज को तुरंत ही बताना होगा। यदि यह सामान असावधानी से नष्ट/खराब हुआ हो तो यंत्र, औजार या दूसरे उपकरणों का मूल्य चुकाना होगा तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा तय जुर्माना भी इस हेतु देना होगा।

16.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में किसी प्रशिक्षणार्थी के सामान या धन इत्यादि खो जाने या नष्ट हो जाने पर संस्थान पर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

16.10 प्रशिक्षणार्थी को सभी प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए यदि संस्थान, छात्रावास, कार्यशाला, प्रयोगशाला या in-plant Training में किसी प्रशिक्षणार्थी के साथ कोई दुर्घटना घट जाये तो संस्थान/विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी।

16.11 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी का अध्ययन कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो उसे दो चेतावनियां दी जाएंगी। यदि फिर भी वह अपने अध्ययन में सुधार नहीं कर पाया तो उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

16.12 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी चरित्रहीन हो जाये तो प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षणार्थी को संस्थान से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

16.13 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य को ध्यानपूर्वक न करे या संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की आज्ञा का पालन न करे तो उसे प्रधानाचार्य द्वारा लिखित चेतावनी दी जा सकती है। यदि प्रशिक्षणार्थी दो अवसरों के उपरान्त भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता है तो उस अवस्था में प्रधानाचार्य को उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

16.14 प्रवेश के समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को पहचान पत्र दिये जायेंगे पहचान पत्र गुम हो जानें पर प्रशिक्षणार्थी को लिखित सूचना तुरंत सम्बन्धित प्रधानाचार्य को देनी होगी, और उसे 100/- रुपये जुर्माना तथा 100/- रुपये प्रति अतिरिक्त पहचान पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा। इसकी सूचना न देने पर या बाद में पता लगने पर प्रशिक्षणार्थी को कड़ी चेतावनी के साथ 200/- रुपये जुर्माना एवं 100/- रुपये प्रति अतिरिक्त पहचान पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा।

16.15 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी धनराशी स्थानीय डाक घर या बैंक में जमा करवानी चाहिए और आवश्यकतानुसार धन निकलवाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की धनराशी के गुम या चोरी होने पर संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

16.16 संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों या नियमों के विषय में सम्बन्धित प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम व सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए मान्य होगा।

16.17 यदि किसी भी समय प्रधानाचार्य को पता लग जाये की अमुक प्रशिक्षणार्थी ने संस्थान में प्रवेश पाने या छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु किसी जाली प्रमाण पत्र या गलत तरीकों का प्रयोग किया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा और इसके अलावा उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि अनैतिक रूप से किसी प्रशिक्षणार्थी ने छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर ली हो तो ब्याज सहित वह राशि भी संस्थान को वापिस करनी होगी।

16.18 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी Police Case में Involved पाया जाता है, तो संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दें तथा ऐसे प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

16.19 प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में मोबाइल फ़ोन का अनावश्यक @ अनुदेशक की अनुमति के बिना प्रयोग वर्जित है, उल्लंघन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों से पहली बार रुपये 100/- का जुर्माना लिया जायेगा, दूसरी बार रुपये 200/- तथा तीसरी बार प्रशिक्षणार्थी का संस्थान से नाम काट दिया जाएगा।

16.20 रैगिंग कानूनी तौर पर पूरी तरह वर्जित है।

16.21 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी पुरस्कार: प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन की तरफ प्रोत्साहित करने हेतु, व्यवसायवार जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 95 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा प्रत्येक विषय में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होंगे उन्हें संस्थान के छात्र कल्याण निधि/ संस्थान प्रबन्धन समिति निधि से व्यवसायवार/ प्रति वर्ष रुपए 5100/- दिए जायेंगे।

नोट :-प्रत्येक प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को Appendix –II के अनुसार H.P. Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 से सम्बन्धित अंडरटेकिंग संस्थान में देने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। कृपया इसे संस्थान को Join करते समय जमा करवायें।

RAGGING, INSIDE/OUTSIDE THE INSTITUTION, IS AN OFFENCE. AS PER THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTION (PROHIBITION OF RAGGING) ACT-2009, EVERY OFFENCE UNDER THIS ACT SHALL BE COGNIZABLE, NON-BAILABLE AND COMPOUNDABLE WITH THE PERMISSION OF HON'BLE COURT. IF ANY STUDENT IS FOUND INDULGING IN RAGGING ACTIVITIES DIRECTLY OR INDIRECTLY, STRICT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST HIM/HER AS PER LAW.